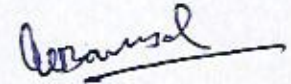


परियोजना की वित्तीय स्वीकृति प्रमाण पत्र।

प्रमाणित किया जाता है कि उ०प्र० शासन के शासनादेश संख्या-768 / Pravidhik-18 / 11-12 / UPSHA / लखनऊ, दि० 23.11.2011 द्वारा लिये गये निर्णयानुसार "मुजफ्फरनगर-सहारनपुर मार्ग (एस.एच.-59) वर्तमान कि.मी. 05.90 से कि.मी. 59.00 (प्रस्तावित कि.मी. 00.00 से कि.मी. 52.950) तक (जनपद मुजफ्फरनगर में एन. एच.-58 मुजफ्फरनगर-रूड़की मार्ग से प्रारंभ होकर जनपद सहारनपुर (गागल हेंड़ी) में एन. एच.-73 सहारनपुर-देहरादून मार्ग) तक जाता है। यह मार्ग 4-लेन विद पेल्ड शोल्डर किया जाना प्रस्तावित है, जिसका क्रियान्वयन पब्लिक-प्राइवेट-पार्टनरशिप (पी०पी०पी०) मोड पर डिजाईन, बिल्ड, फाईनेन्स, ओपरेट एण्ड ट्रान्सफर के आधार पर किया जाना है, जिसमें योजना आयोग, भारत सरकार द्वारा वी०जी०एफ० परियोजना लागत के 20 प्रतिशत हेतु सैद्धान्तिक अनुमोदन प्राप्त है।



(ए०के० बंसल)

तिथि: / /

स्थान:

परियोजना महाप्रबन्धक (पश्चिम),
उ०प्र० राज्य राजमार्ग प्राधिकरण (उपशा),
क्षेत्रीय कार्यालय, मुजफ्फरनगर।